(III) A Centrally sponsored scheme 'Development of Infrastructure for protection of forest against Biotic Interference' is under implementation in the States/ U.T. Governments.

(IV) Guidelines have been issued to all States/UT Governments from time to time for protection of forests. Mention is made of some important ones :

(i) To avoid clear felling of natural forests and where such . fellings are inevitable for restoration of crops and other silvicul-tural consideration, it should be restricted to areas not exceeding 10 hectares in the hills and 25 hectares in the plains.

(ii) To consider ban on green felling in hills and mountains above 1000 metres, at least for some years.

(V) To improve density of de graded forests following steps have been taken :

(i) A massive afforestation programme including social forestry and agro-forestry under the 20 point programme is under implementation in all parts of the country.

(ii) Guidelines have also been issued to all State/UT Governments for People's participation and active involvement in managment and development of degraded forests.

**कुंओं के चारों ओर वृक्षारोपण**

2061. **श्री शिव प्रसाद जनपुरिया :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यावरण और वन विकास को ध्यान में रखते हुए सामाजिक वानिकी और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कृषि फार्मों पर सिंचाई हेतु निर्मित कुओं के चारों ओर कम से कम दस वृक्षों का रोपण अनिवार्य बनाए जाने का विचार है ;

(ख) सड़कों और नहरों के साथ-साथ दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु किसी स्पष्ट योजना के कार्यान्वियन के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या पर्यावरण के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करने का कोई प्रयास किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) और (ख) देश भर में कार्यान्वित किए जा रहे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम संबंधी कार्यकलापों के माध्यम से निजी भूमि पर, घरों के आस-पास, खेतों की मेड़ों तथा अन्य खाली स्थानों में वृक्ष लगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। तथापि सिंचाई के कुओं के चारों ओर विशिष्ट संख्या में वृक्ष लगाने जैसी कोई आवश्यक शर्त नहीं रखी गई है क्योंकि यह आवश्यक रूप से एक स्वैच्छिक प्रयास है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क, रेल लाइन तथा नहरों के किनारों पर भी वृक्षारोपण किया जाता है।

(ग) और (घ) वन चेतना केन्द्रों, किसान प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर, जन पौधशालाओं को लोकप्रिय बनाकर, बंजर भूमि विकास में लगी स्वैच्छिक एजेंसियों तथा इलैक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया के जरिए ग्रामीणों में जागरूकता पैदा की जा रही है।

**प्रदूषण-नियंत्रण**

2062. **डा. बापू कालदाते :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र कितने हैं ;

(ख) कितने विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर उपलब्ध हैं ;

(ग) ऐसे विद्युत संयंत्र, जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण नहीं हैं; वातावरण में प्रतिवर्ष कितनी राख फैलाते हैं;

(घ) क्या यह सच है कि संयंत्रों से निकली राख (फ्लाईएश) के कारण संयंत्रों के चारों ओर 25 कि. मी. के दायरे में वनस्पति और मानव जीवन को खतरा पैदा हो रहा है ;

(ङ) क्या सरकार ने इस समस्या का अध्ययन किया है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या सरकार का प्रदूषण फैलाने वाले विद्युत संयंत्रों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ)** : (क) से (ग) देश में कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्रों की संख्या 70 है। इनमें से, 25 संयंत्रों ने अनिवार्य प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लिए हैं। शेष संयंत्रों को अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का एक समयबद्ध कार्यक्रम दिया गया है। ऐसा अनुमान है कि ताप विद्युत संयंत्रों से लगभग 6.7 मिलियन टन फ्लाईऐश उत्सर्जित होता है जो उत्सर्जन सीमाओं का पालन नहीं कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) इस संबंध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

(च) सरकार ने दिनांक 12 फरवरी, 1992 को एक अधिसूचना जारी की जिस के अनुसार उन सभी ताप विद्युत संयंत्रों, जो 16 मई, 1981 से पहले स्थापित किए गए थे, को दिसम्बर, 1993 तक निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण मुहैया कराने हैं। जो संयंत्र मई, 1981 के बाद स्थापित किए गए हैं, उन्हें दिसम्बर, 1992 तक वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण मुहैया कराने हैं।

**Growth of flora and fauna in the country**

2063. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that flora and fauna of the country which is an indispensable part have of the indigenous system of medicine is likely to be extinct by the year 2000 AD; and

(b) if so, what steps Government are taking at present and propose to take to reserve and promote the growth of country in flora and fauna to meet the medicine and environmental needs of the country ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) The depletion of flora and fauna in the country is a known fact which has been going on for a long time and is certainly a matter of concern. However, there is no scientific evidence that the flora and fauna of the country would become extinct by 2000 A.D.

(b) A number of steps have been taken to preserve and promote the growth of flora and fauna in the country, which include the following :—

(1) Extensive survey for identification of threatened and endangered species ;

(2) Establishment of a network of protected areas including National' Paries, Sanctuaries, Biosphere Reserves and *Preservation* Plot;